रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-248001
CG-DL-E-10082023-248001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3425]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2023/श्रावण 19, 1945**
No. 3425]	**NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10 , 2023/SHRAVANA 19, 1945**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

का.आ. 3579(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ओडिसा' (पैन AAALS2490J), ओडिसा राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड, उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों अथवा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत नियामक प्रभार;

(ख) शासी विधानों के अंतर्गत संगृहीत जुर्माने और वसूलियां;

(ग) केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त सहायता अनुदान;

(घ) नोडल एजेंसी की हैसियत से केंद्रीय और राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त सहायता अनुदान;

(ङ) पर्यावरणीय अध्ययन और अनुसंधान निष्पादित करने के लिए प्राप्त अंशदानों का हिस्सा;

(च) विविध आय, जैसे स्क्रैप की बिक्री, आस्तियों की बिक्री पर लाभ, आरटीआई आवेदन शुल्क, बैंक गारंटी की जब्ती, निविदा शुल्क, परीक्षा शुल्क, विश्लेषण प्रभार और परामर्श शुल्क इत्यादि की पैनलबद्धता; और

(छ) उपर्युक्त (क) से (ङ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित के अध्यधीन प्रभावी होगी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिसा –

(क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाईल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2021-2022 से 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 के लिए संगत है।

[अधिसूचना सं. 60/2023 फा.सं. 300196/6/2020-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक, आईटीए-I

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2023

S.O. 3579(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'State Pollution Control Board Odisha' (PAN AAALS2490J), a Board constituted by the State Government of Odisha, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

(a) Regulatory charges under different Environmental Acts & Rules thereunder;

(b) Penalties & Levies collected under governing statutes;

(c) Grant-in-aid received from Central & State Governments;

(d) Grant in Aid received on behalf of Central & State Governments in the capacity of nodal agency;

(e) Share of contributions received for carrying out environmental studies & research;

(f) Miscellaneous income, like sale of scrap, profit on sale of assets, RTI application fees, forfeiture of Bank Guarantee, tender fees, examination fees, analysis charges and empanelment of consultant fees etc. and

(g) Interest earned on (a) to (f) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that State Pollution Control Board Odisha,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2021-2022 to 2023-2024 relevant for the financial years 2020-2021 to 2022-2023 respectively.

[Notification No. 60 /2023 F.No.300196/6/2020-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA